हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याःपीसीएच–एचए (1)2/2019–54294-308 शिमला–171009 दिनांक 22.8.2020.

अधिसूचना

क्योंकि उपायुक्त, हमीरपुर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जिला हमीरपुर, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप–धारा(1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला हमीरपुर के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार विभाजित/पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के प्रयोजन हेतू ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई–राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला हमीरपुर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला हमीरपुर को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला हमीरपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला हमीरपुर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

क्र0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या–2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या–4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामो के नाम	कोष्ठ संख्या–3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड बमसन						
1	डुग्घा	1 तरोपका	बरोहा	1 तरोपका	1 डुग्घा खुर्द	
		2 बरोहा		2 बरोहा	2 लाहड़	

		3 डुग्घा कलां		3 डुग्घा कलां	3 जसौर	
		4 पंजाली		4 पंजाहली		
		5 डुग्घा खुर्द				
		6 लाहड़				
		7 जसौर				
2	सराकड	1.करयाली	भरंनाग	1.बलौंगनी	1.करयाली	
		2.भरेटा		2.खरोह	2.भरेटा	
		3.कटियारा कलां		3.भरंनाग	3.कटियारा कलां	
		4.कटियाला खुर्द		4.स्लोट	4.कटियाला खुर्द	
		5.सराकड़		5.धार स्वारी	5.सराकड़	
		6.बलौंगनी		6.अप्पर महौल धार स्वारी		
				7.ब्रहामणी		
		7.खरोह				
		8.भरंनाग				
		9.स्लोट				
		10.धार स्वारी				
		11.अप्पर महौल धार स्वारी				
		12.ब्रहामणी				
विकास खण्ड भोरंज						
3	अग्घार	1.धनवीं	नाहलवीं	1.धनवीं	1.अग्घार	
		2.लुंडरी		2.लुंडरी	2.चौकड़	
		3.नाहलवीं		3.नाहलवीं	3.कोठी	
		4.बटूरड़ा ब्रामहम्णा		4.बटूरड़ा ब्रामहम्णा	4.कुगाण	
		5.बटूरड़ा पटियालां		5.बटूरड़ा पटियालां	5.चकड़ोआ	
		6.अग्घार				
		7.चौकड़				
		8.कोठी				
		9.कुगाण				
		10.चकड़ोआ				
4	सधरियाण	1.तरक्वाड़ी	रौंही	1.रौंही	1.तरक्वाड़ी	
		2.कटोह		2.डुंगरी	2.कटोह	
		3.सधरियाण		3.टकौता भट्टा	3.सधरियाण	
		4.दियालड़ी		4.टकौता ब्राहमणा	4.दियालड़ी	
		5.टकौता भट्टा			5.भटेड़	
		6.टकौता ब्राहमणा			6.भराल	
		7.रौंही			7.भनेड़ा	
		8.डुंगरी				
		9.भटेड़				
		10.भराल				
		11.भनेड़ा				
5	टिक्कर ड़िडवीं	1.समराला	चौकी कनकरी	1.चौकी कनकरी	1.कदरियाणा	

		2.कदरियाणा		2.समराला	2.ड़िडवीं	
		3.चौकी कनकरी			3.टिक्कर	
		4.ड़िडवीं			4.ठाणा	
		5टिक्कर				
		6.ठाणा				
विकास खण्ड बिझड़ी						
6	मोरसू सुल्तानी	1. कसीरी	पटेरा	1 कसीरी	1. चुआण	
		2. डी0 पी0 एफ0 पुखरू झक–1		2 डी0 पी0 एफ0 पुखरू झक–1	2. रोपडी	
		3. डोडरू		3 डोडरू	3. मोरसू रड़ा	
		4. झरनोट		4 झरनोट	4. मोरसू सुल्तानी	
		5. जिन्दवीं भजनू		5 जिन्दवीं भजनू	5. मोरसू झीरां	
		6. जिन्दवीं ब्राहम्ण		6 जिन्दवीं ब्राहम्ण	6. मोरसू गारलां	
		7. जमना		7 जमना	7. ज्वाला नगर	
		8. पटेरा		8 पटेरा	8. मोरसू पटी	
		9. उझाण		9 उझाण	9. सिद्धपुर	
		10.घलोण		10 घलोण	10. मोरसू दतयाला	
		11. चुआण		11 विल्कर रूणिया		
		12. रोपड़ी		12 विल्कर कहन		
		13. विल्कर रूणिया				
		14 विल्कर कहन				
		15 मोरसू रड़ा				
		16 मोरसू सुल्तानी				
		17 मोरसू झीरां				
		18 मोरसू गारलां				
		19 ज्वाला नगर				
		20 मोरसू पटी				
		21 सिद्धपुर				
		22 मोरसू दतयाला				
7	सौर	1. छोड़ब	दैणं	1.पुंदड़	1.छोड़ब	
		2. मनसुही मंझली		2.बल्ह मसंदा	2.मनसुही मंझली	
		3. मनसुही उपरली		3.बल्ह ढटवालियां	3.मनसुही उपरली	
		4. मनसुही झिकली		4.दैण	4.मनसुही झिकली	
		5. ठमाणी मंझली			5.ठमाणी मंझली	
		6. ठमाणी उपरली			6.ठमाणी उपरली	
		7. ठमाणी चंबयालां			7.ठमाणी चंबयालां	
		8. पुंदड़			8.सौर	
		9. बल्ह मसंदा			9.डी0पी0एफ0 हुम्मबल	
		10. बल्ह ढटवालियां				
		11. दैण				
		12. सौर				

		13. डी0पी0एफ0 हुम्मबल				
8	समताना कलां	1. नलेहड़ा	जनैहण	1. नलेहड़ा	1. समताना कलां	
		2. जनैहण		2.जनैहण		
		3. समताना कलां		3.समताना खुर्द		
		4. समताना खुर्द		नलेहड़ा		
विकास खण्ड नादौन						
9	सपड़ोह	1.वाड़ी	बर्धयाड़	1.वाड़ी	1.जंगल	
		2.सासन		2.सासन	2.मढहूं	
		3.तुरंगवाल		3.तुरंगवाल	3.मनसोली	
		4.वर्धयाड़		4.वर्धयाड़	4.सासन रैंथल	
		5.डोल		5.डोल	5.लाहड़	
		6.दुलेह		6.दुलेह	6.जटियाला	
		7.भगवानी		7.भगवानी	7.धनपुर	
		8.रतियां		8.रतियां	8.धमांदर	
		9.पुल्याल		9.पुल्याल	9.गरियाली	
		10.जटगारा		10.जटगारा	10.कारटी	
		11.लोहारड़ा		11.लोहारड़ा		
		12.जंगल				
		13.मढहूं				
		14.मनसोली				
		15.सासन रैंथल				
		16.लाहड़				
		17.जटियाला				
		18.धनपुर				
		19.धमांदर				
		20.गरियाली				
		21.कारटी				

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याःपीसीएच–एचए(1)2/2019– 54294-308 शिमला–171009 दिनांक 22.8.2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू निम्नलिखित को प्रेषित है:–

1. उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आप्पतियों/आक्षेपों, यदि कोई हों, का तुरन्त निपटारा करके अपनी अन्तिम सिफारिश/आपत्तियों तथा आक्षेपों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों की अवधि के भीतर विशेष वाहक द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. जिला पंचायत अधिकारी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आष्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।

3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतू तुरन्त उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार भी सुनिश्चित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को (सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से) इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटट् पर चसपान सुनिश्चित करवाएगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09